


न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 243 A/2023
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.



मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बलराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
4. श्योकरण पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. बिरमा देवी पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. गुड्डी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. रोशनी देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सुलोचना पत्नी श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 22.06.2023

वादी मोहनलाल ने प्रतिवादीगण साहबराम वगैरा के विरुद्ध यह
राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया
कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू

लगातार --2

27/6
लीलपाली

परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.910 है. कृषि भूमि, चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.403 है. कृषि भूमि, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 8 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 9 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की संयुक्त खाता की संयुक्त की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 6 ता 9 ने उक्त कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 1, 6 ता 9 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/194	60	1/1/0.156 है., 1/2/0.066 है., 10/1/0.025 है., 10/2/0.005 है.

मुमकिन 0.181 है., गै.मु. 0.071 है., कुल 0.252 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73


प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
151/203	12	6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है. 8/0.253 है., 15/1/0.228 है.

मुमकिन 0.962 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.987 है. कृषि भूमि

(ख) वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम एवं प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री

साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला

लगातार --3



अभियान 2023

(800)

लीलावाली

हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि
चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
151/203 12 5/1/0.012 है.

कुल 0.012 है. कृषि भूमि



(ग)

प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि
भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/193 53 22/0.249 है.

148/194 60 9/0.062 है., 10/1/0.045 है., 10/2/0.007 है.

मुमकिन 0.356 है., गै.मु. 0.007 है., कुल 0.363 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/195 17 18/2/0.094 है.

कुल 0.094 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/195 17 18/3/0.055 है., 20/1/0.204 है.,
20/2/0.038 है.

149/196 29 7/3/0.063 है., 8/2/0.126 है.

मुमकिन 0.448 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.486 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/195 17 19/0.241 है., 7/1/0.063 है., 8/1/0.127 है.

कुल 0.431 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 बलराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि
भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/193 53 19/0.249 है.

148/194 60 9/0.083 है., 10/1/0.037 है.,

10/2/0.005 है.

मुमकिन 0.369 है., गै.मु. 0.005 है., कुल 0.374 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मीलासली

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/195	17	16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.032 है.
149/196	29	6/0.253 है., 7/2/0.127 है.
कुल 0.918 है. कृषि भूमि		



चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/195	17	18/1/0.063 है.
कुल 0.063 है. कृषि भूमि		

(इ) प्रतिवादी सं. 4 श्योकरण पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	11/0.253 है., 12/1/0.126 है., 20/0.033 है.
148/194	60	8/0.253 है., 9/0.108 है., 10/1/0.040 है., 10/2/0.006 है.

मुमकिन 0.813 है., गै.मु. 0.006 है., कुल 0.819 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(व) प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	20/0.198 है., 21/0.231 है.
148/194	60	10/1/0.035 है., 10/2/0.008 है.

मुमकिन 0.464 है., गै.मु. 0.008 है., कुल 0.472 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
151/202	4	23/2/0.164 है.
151/203	12	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.216 है., 5/2/0.025 है.

मुमकिन 0.886 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.911 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम एवं बलराम पुत्र श्री साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------

Handwritten notes and signatures at the bottom left corner.

148/195 17

18/3/0.009 है., 20/1/0.011 है.

कुल 0.020 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17

19/0.012 है.

कुल 0.012 है. कृषि भूमि

(ज)

वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम, प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल, प्रतिवादी सं. 3 बलराम, प्रतिवादी सं. 4 श्योकरण, प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/193 53

19/0.004 है., 20/0.022 है., 21/0.022 है.,

22/0.004 है.,

148/194 60

1/1/0.021 है., 1/2/0.010 है.,

10/1/0.033 है., 10/2/0.007 है.

मुमकिन 0.106 है., गै.मु. 0.017 है., कुल 0.123 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 10 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तह. संगरिया के चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 5 डी.एल.पी. के खाता

लगातार --6



Handwritten notes and signatures at the bottom left, including '2/16' and 'लीजावणी'.

सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 एवं चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 5 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गईं। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 6 एम.एम.के. के खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.910 है। कृषि भूमि, चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.403 है। कृषि भूमि, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.506 है। कृषि भूमि, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 8 के नाम से 0.506 है। कृषि भूमि, चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 9 के नाम से 1.012 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराज जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-
चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.



24/6
203
नीलमाली

148/194 60

1/1/0.156 है., 1/2/0.066 है., 10/1/0.025 है.,
10/2/0.005 है.

मुमकिन 0.181 है., गै.मु. 0.071 है., कुल 0.252 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

151/203 12

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.
8/0.253 है., 15/1/0.228 है.

मुमकिन 0.962 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.987 है. कृषि भूमि

(ख) वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम एवं प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री
साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

151/203 12

5/1/0.012 है.

कुल 0.012 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि
भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/193 53

22/0.249 है.

148/194 60

9/0.062 है., 10/1/0.045 है., 10/2/0.007 है.

मुमकिन 0.356 है., गै.मु. 0.007 है., कुल 0.363 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17

18/2/0.094 है.

कुल 0.094 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17

18/3/0.055 है., 20/1/0.204 है.,

20/2/0.038 है.

149/196 29

7/3/0.063 है., 8/2/0.126 है.

मुमकिन 0.448 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.486 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.



20/6
20/6
लीलासायी

148/195 17 19/0.241 है., 7/1/0.063 है., 8/1/0.127 है.
कुल 0.431 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 बलराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	19/0.249 है.
148/194	60	9/0.083 है., 10/1/0.037 है., 10/2/0.005 है.



मुमकिन 0.369 है., गै.मु. 0.005 है., कुल 0.374 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/195	17	16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.032 है.
149/196	29	6/0.253 है., 7/2/0.127 है. कुल 0.918 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/195	17	18/1/0.063 है. कुल 0.063 है. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 4 श्योकरण पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	11/0.253 है., 12/1/0.126 है., 20/0.033 है.
148/194	60	8/0.253 है., 9/0.108 है., 10/1/0.040 है., 10/2/0.006 है.

मुमकिन 0.813 है., गै.मु. 0.006 है., कुल 0.819 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	20/0.198 है., 21/0.231 है.

संगरिया जिला अधीक्षण 2023
जिला प्रशासक (SPO)
लीलावती

148/194 60

मुमकिन 0.464 है., गै.मु. 0.008 है., 10/1/0.035 है., 10/2/0.008 है.
चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

151/202 4

23/2/0.164 है.

151/203 12

3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.216 है., 5/2/0.025 है.

(छ)

मुमकिन 0.886 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.911 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम एवं बलराम पुत्र श्री
साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17

18/3/0.009 है., 20/1/0.011 है.

कुल 0.020 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17

19/0.012 है.

कुल 0.012 है. कृषि भूमि

(ज)

वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम, प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल, प्रतिवादी सं. 3
बलराम, प्रतिवादी सं. 4 श्योकरण, प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम
समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/193 53

19/0.004 है., 20/0.022 है., 21/0.022 है.,
22/0.004 है.,

148/194 60

1/1/0.021 है., 1/2/0.010 है.,

10/1/0.033 है., 10/2/0.007 है.

मुमकिन 0.106 है., गै.मु. 0.017 है., कुल 0.123 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 6 एम.एम.के. के खाता सं.

111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.910

है. कृषि भूमि में से वादी को 0.993 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को

0.917 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का

नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं.

104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.403

लगातार --10



Handwritten notes and signatures at the bottom left corner.

है. कृषि भूमि में से वादी को 0.252 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.363 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 0.374 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 4 को 0.819 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 0.472 है. कृषि भूमि का तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को 0.123 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.437 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 0.069 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 8 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.496 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.010 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 8 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 9 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.094 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.918 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 9 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिफ्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिफ्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिफ्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/6/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया लीलावती

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 243 A/2023

मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)



- वादी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
2. कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
3. बलराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
4. श्योकरण पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
5. दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
6. बिरमा देवी पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
7. गुड्डी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
8. रोशनी देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
9. सुलोचना पत्नी श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22/4/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

लगातार --2

मंग अधिवान 2023

(DO)

ला.ला.साली

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/194 60

1/1/0.156 है., 1/2/0.066 है., 10/1/0.025 है.,
10/2/0.005 है.

मुमकिन 0.181 है., गै.मु. 0.071 है., कुल 0.252 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
151/203 12

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.
8/0.253 है., 15/1/0.228 है.

मुमकिन 0.962 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.987 है. कृषि भूमि

(ख)

वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम एवं प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम
समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के
हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

151/203 12 5/1/0.012 है.

कुल 0.012 है. कृषि भूमि

(ग)

प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/193 53 22/0.249 है.

148/194 60 9/0.062 है., 10/1/0.045 है., 10/2/0.007 है.

मुमकिन 0.356 है., गै.मु. 0.007 है., कुल 0.363 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17 18/2/0.094 है.

कुल 0.094 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17 18/3/0.055 है., 20/1/0.204 है.,

20/2/0.038 है.

149/196 29 7/3/0.063 है., 8/2/0.126 है.

मुमकिन 0.448 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.486 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

148/195 17 19/0.241 है., 7/1/0.063 है., 8/1/0.127 है.

कुल 0.431 है. कृषि भूमि



प्रशासनिक कार्य के मांग अभियान
शिक्षण प्रशासक (SDO)
शिक्षण प्रशासक, बीकानेर

प्रतिवादी सं. 3 बलराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	19/0.249 है.
148/194	60	9/0.083 है., 10/1/0.037 है., 10/2/0.005 है.

मुमकिन 0.369 है., गै.मु. 0.005 है., कुल 0.374 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 85/72 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/195	17	16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.032 है.
149/196	29	6/0.253 है., 7/2/0.127 है. कुल 0.918 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/195	17	18/1/0.063 है. कुल 0.063 है. कृषि भूमि



(इ) प्रतिवादी सं. 4 श्योकरण पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	11/0.253 है., 12/1/0.126 है., 20/0.033 है.
148/194	60	8/0.253 है., 9/0.108 है., 10/1/0.040 है., 10/2/0.006 है.

मुमकिन 0.813 है., गै.मु. 0.006 है., कुल 0.819 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(क) प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/193	53	20/0.198 है., 21/0.231 है.
148/194	60	10/1/0.035 है., 10/2/0.008 है.

मुमकिन 0.464 है., गै.मु. 0.008 है., कुल 0.472 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 एम.एम.के. खाता सं. 111/65 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
151/202	4	23/2/0.164 है.
151/203	12	3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.216 है., 5/2/0.025 है.


मुमकिन 0.886 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.911 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --4

प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः कृष्णलाल पुत्र श्री साहबराम एम बलराम पुत्र श्री साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 73/60 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/195 17 18/3/0.009 है., 20/1/0.011 है.
कुल 0.020 है. कृषि भूमि

चक 4 डी.एल.पी. खाता सं. 16/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/195 17 19/0.012 है.
कुल 0.012 है. कृषि भूमि



वादी मोहनलाल पुत्र श्री साहबराम, प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल, प्रतिवादी सं. 3 बलराम, प्रतिवादी सं. 4 श्योकरण, प्रतिवादी सं. 5 दयालचन्द पुत्र श्री साहबराम समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 104/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
148/193 53 19/0.004 है., 20/0.022 है., 21/0.022 है.,
22/0.004 है.,
148/194 60 1/1/0.021 है., 1/2/0.010 है.,
10/1/0.033 है., 10/2/0.007 है.

मुमकिन 0.106 है., गै.मु. 0.017 है., कुल 0.123 है. मय गै.मु. कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर प्रतिवादी सं. 1, 7 ता 9 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX..... निलX..... बाबत्X.....
निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22-6-2021 को जारी किया जाता है।

7/21/21
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं प्रशासन मंत्र के सगे अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया